

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

पत्रांक:-/जिला भू0सु0, दिनांक.....

प्रेषक,
समाहर्ता,
वैशाली।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर/महुआ एवं महनार।
भूमि सुधार उप समाहर्ता, हाजीपुर/महुआ एवं महनार।
सभी अंचल अधिकारी, वैशाली जिला।

विषय :- ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के अन्तर्गत आवंटित भूमि से बेदखल किये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु पूर्व निर्धारित समय सीमा दिनांक 01.07.16 से 31.12.16 तक बढ़ाने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भू0 सु0 विभाग, बिहार,पटना के पत्रांक-714(7)/रा0(अंश), दिनांक 30.06.16 महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह सितम्बर 14 से राज्य भर में "ऑपरेशन भूमि दखल देहानी" के नाम से आवंटित सरकारी भूमि से बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना चलायी जा रही है, जिसका अवधि दिनांक 30.06.16 तक निर्धारित था।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2016 के कारण ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के क्रियान्वयन में वांछित प्रगति नहीं होने के फलस्वरूप ऑपरेशन दखल देहानी की अवधि को दिनांक 01.07.16 से 31.12.16 तक विस्तारित किया गया है।

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि राज्य भर में दिनांक 16.06.2016 तक कुल 23,77,763 पर्चाधारियों के विरुद्ध मात्र प्रपत्र-2 में चिन्हित बेदखल पर्चाधारियों की संख्या-1,22,370 है। इनमें से अब तक कुल 70,065 पर्चाधारियों को ही दखल कब्जा दिलाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मई माह तक 73 प्रतिशत पर्चाधारियों से संबंधित विवरण ही वेबसाईट पर अपलोड की जा सकी है। कुल बेदखल किये गये पर्चाधारियों में से 57 प्रतिशत पर्चाधारियों को कब्जा दिलाया जा सका है, जो संतोषजनक नहीं है।

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के क्रियान्वयन की समय सीमा दिनांक 31.12.16 तक विस्तारित करने के बाद विभागीय पत्र के कंडिका-5 में अंकित निदेशों का अनुपालन करते हुए दखल दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विशेष शिविरों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता विशेष शिविर में उपस्थित होकर करेंगे तथा उपरोक्त समयवद्ध अभियान की समीक्षा/अनुश्रवण अनुमण्डल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता नियमित रूप से करेंगे।

अतः विशेष शिविर का कार्यक्रम तथा प्रसांगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न है, के आलोक में विशेष शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्र से करेंगे एवं इस कार्य के लिए विकास मित्र, टोला सेवक, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों के प्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर विशेष शिविर में गहन सर्वेक्षण कर पाये जाने वाले बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाते हुए विहित प्रपत्र-1 एवं 2 में तथा दखल दिलाये गये पर्चाधारियों का प्रतिवेदन प्रतिवेदन-3 में जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए प्रतिवेदन-4 में अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

अनु0- (1) प्रसांगिक विभागीय पत्र की छायाप्रति।

(2) विशेष शिविर कार्यक्रम की प्रति।

विश्वासभाजन,



समाहर्ता,
वैशाली।


ज्ञापांक :-/जिला भू0सु0, दिनांक :- 6.7.16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भवदीय पत्रांक-714(7)/रा0(अंश), दिनांक 30.06.16 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, वैशाली को अनुलग्नक के प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को प्रतिवेदन की प्रति एवं सी0डी0 के साथ जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


समाहर्ता,
वैशाली।

